

## एक परिचय

उपरोक्त आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1985 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1986 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राज्यीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

### उद्देश्यः—

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्परण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप मूख्यण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (घ) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शारिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे- विद्युत-आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ब्लेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके।

परिषद जन साधारण की आवश्यकताओं कर पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित मूख्यण्ड उपलब्ध कराती है।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये इच्छुक पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।



# FRONT ANGULAR VIEW OF 1 BHK. FLAT





# FRONT ANGULAR VIEW OF 2 BHK. FLAT



# 1 BHK




# **UNIT PLAN**

## **1 BHK**



# CLUSTER




## 1 BHK CLUSTER PLAN

UNIT AREA - 29.76 Sqmt.

SUPER AREA - 34.07 Sqmt.

FAR AREA - 33.27 Sqmt.

# PLAN (1 BHK)



# 2 BHK



# UNIT PLAN 2 BHK



# CLUSTER




## 2 BHK CLUSTER PLAN

UNIT AREA - 51.41 Sqmt.

SUPER AREA - 56.11 Sqmt.

FAR AREA - 55.27 Sqmt.

# PLAN (2 BHK)



## परियोजना का विवरण

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में एफोर्डेबल हाउसिंग के अन्तर्गत “समाजवादी आवास योजना-2018” के अधीन गुलमोहर एन्कलेट के नाम से चार मंजिली आवसीय परियोजना में 1BHK एवं 2BHK के कुल 1951 फ्लैट्स का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित फ्लैट्स विवरण, पंजीकरण मूल्य एवं विशिष्टियां निम्नवत् हैं:

### फ्लैट्स का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	फ्लैट्स का प्रकार	फ्लैट्स की संख्या	सुपर इरिया वर्ग मी0 में	प्राविधान
1	1BHK	521	34.07	1 लिविंग रूम, 1 बेरुरूम, 1 किचन, 1 बाथरूम सी0, 1 बाथरूम एवं 1 बालकनी
2	2BHK	1430	56.11	1 लिविंग रूम, 2 बेरुरूम, 1 किचन, 2 बायलेट, एवं 1 बालकनी

### नोट:-

पंजीकरण धनशाशि हेतु बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक “उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद” के नाम जो गाजियाबाद शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिये।

## उपलब्ध प्लैटों का विवरण

### भुगतान का विकल्प 'अ'

अनुमानित मूल्य का एक मुश्त भुगतान पत्र निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर करने पर 02 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी

### भुगतान का विकल्प 'ब'

गुलमोहर एन्क्लेव के प्लैट्स एवं पंजीकरण घनराशि व किरतों का विवरण

#### सम्पत्ति का विवरण

क्रम संख्या	प्लैट का प्रकार	मण्डल	प्लैट्स की संख्या	सुपर एरिया (मॉनी)	अनुमानित नागर (मॉ साल में)	पंजीकरण घनराशि (2 प्रतिशत)	प्रयत्न के पर्याप्त मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के बन्दर देव घनराशि (मॉ हजार में) (५ प्रतिशत)	प्रयत्न के सफलता शाश्वती माह से 11 व्रीमासिक किरतों (मॉ हजार में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1BHK	S + 4	521	34.07	11.40	22800.00	57200.00	96400.00
2.	2BHK	S+4	1430	56.11	18.80	37600.00	94400.00	158950.00

## भुगतान का विकल्प 'स'

गुलमोहर एन्कलेव के फ्लैट्स एवं पंजीकरण धनराशि व किस्तों का विवरण

### दिवार द्वारा दिवार

अ. सं.	फ्लैट का प्रकार	मिले	फ्लैट की संख्या	सुपर परिया बुर्ज की परिया बुर्ज	पंचांग बनारी	बनारी का वर्ष	पर्याप्त अवधि	दिन के अन्तर	बनारी की परिया बुर्ज की परिया बुर्ज में (प्रतिशत)	पर्याप्त अवधि	देव वनशिंग लागत का 10 प्रतिशत	पर्याप्त अवधि	देव वनशिंग (प्रतिशत) का 10 प्रतिशत	पर्याप्त अवधि	पर्याप्त अवधि	पर्याप्त अवधि	पर्याप्त अवधि	
1.	1BHK	Stilt+4	521	34.07	11.40	22800.00	57200.00	14100.00	113942.00	9908.00	23225.00	188030.00	16350.00					
2.	2BHK	Stilt+4	1430	56.11	18.80	37600.00	94400.00											

### नोट-

- लकड़ परियोजना में भूमि के क्षेत्रफल की गणना में सहकरण एवं पाँकों के क्षेत्रफल को छोड़कर ऐप भूमि का मूल्य लिया गया है।
- लकड़ परियोजना के अपर ग्राहण तल के फ्लैट के आंकड़ी से 3 प्रतिशत, प्रथम तल के फ्लैट से 2 प्रतिशत एवं द्वितीय तल के आंकड़ी से 1 प्रतिशत लोकेशन चार्ड लिया जाना प्रस्तुचित है।
- उपरोक्त कॉर्टम 9 में अकित 35 मासिक किस्तों में भूमि मूल्य एवं निर्माण मूल्य 10 प्रतिशत लाभ निर्माण मूल्य पर औसत आज प्रतिशत लोकेशन चार्ड लिया जाना प्रस्तुचित है।
- लकड़ परियोजना के आपर पार्किंग हेतु आंकड़ी से निमानुसार धनराशि बातिरिक्त लिये जाने का प्रस्ताव है।
- Covered car parking for 1BHK and 2BHK Flats @ Rs. 17500.00
- Open car parking for 1BHK and 2BHK Flats @ Rs. 100000.00
- भूमि मूल्य का 12 प्रतिशत फ्रैटोल्ड शुल्क एवं सेवा कर आला से देय होगा।
- बाय नियम व शर्तें पंजीकरण प्रूफिक्या के अनुरूप होंगी।

## फ्लैट की विशिष्टियाँ

विशिष्टियों का विवरण	समाजवादी आवासीय योजना-2016 1BHK + 2 BHK TYPE फ्लैट्स
फ्लैट्स के निर्माण की पद्धति	आरप्सीएसीए फेम स्ट्रक्चर/शियर वाल
फर्श	
(अ) कमरे	सिरेमिक टाइल्स
(ब) किचन	फर्श में एन्टी स्क्रिड सिरेमिक टाइल्स, कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रीन मार्बल एवं दीवारों पर कुकिंग प्लेटफार्म से 0.80 मी. ऊचाई तक सिरेमिक टाइल।
(स) द्वायलेट / बाथरूम	फर्श में एन्टी स्क्रिड सिरेमिक टाइल्स एवं दीवारों पर 1.50 मी. ऊचाई तक सिरेमिक टाइल।
(द) लब्लूएसी०	फर्श में एन्टी स्क्रिड सिरेमिक एवं दीवारों पर 0.60 मी. ऊचाई तक सिरेमिक टाइल।
कॉमन एरिया	सिरेमिक टाइल्स
स्टेचर केस	कोटा स्टोन फ्लोरिंग
डोर फेम	बाहरी दरवाजे-एम.एस, संगल आयरन (डबल पताम) व शोब एम.एस. एंगल आयरन (सिंगल पताम)
विन्को फेम व विन्को शटर	एनोखाइज़ एल्यूमिनियम विन्को फेम एवं शटर विद प्लेन ग्लास
डोर शटर	फलशा डोर शटर्स
डोर एवं विन्को फिटिंग्स	आई.एस.आई. मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स
आन्तरिक जलापूर्ति	यू.पी.बी.सी. पाइप, सी.पी. फिटिंग्स, किचन में स्टेनलेस स्टील सिंक
आन्तरिक सेनेटरी कार्य	प्रथम द्वायलेट में उच्चीसा पैन (लो लेवल पी.बी.सी. सिस्टर्न के साथ), हिलीय द्वायलेट की दशा में यूरोपियन शीट (लो लेवल पी.बी.सी. सिस्टर्न के साथ)
विद्युत कार्य	आई.एस.आई. मार्क अग्निरोधक कॉपर वायरिंग पियानो टाइप स्लिव एवं फलशा टाइप साकेट के साथ।
फिनिशिंग	बाहरी सतह पर वेदर कोट फिनिश, आन्तरिक सतह पर ऑफल बाहण्ड किस्टेम्पर दरवाजों पर एनामिल पेन्ट।

## आवश्यक विवरण:-

1. उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित है। फ्लैट का निर्माण होने पर तल का निर्धारण लाटरी द्वारा किया जायेगा। तदनुसार निर्धारित मूल्य देय होगा। पंजीकरण धनराशि एवं किश्तों की धनराशि की मांग चूनतम अनुमानित लागत पर की गयी है। प्रस्तावित निर्माण प्रगति पर है एवं निर्माण कार्य ३६ माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम मूल्य देय होगा। सम्पत्ति के निर्धारित वर्तमान अनुमानित मूल्य में अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक भजदूशी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में वृद्धि होने पर मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
2. भवनों की टाईप डिजाइन व ले-आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. प्रत्येक आवंटी को भवन के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही योजना की भूमि में फी होल्ड चार्ज, पात्रता चयन तिथि को तत्समय प्रचलित भूमि दर पर देना होगा।
4. १<sup>वी</sup>००४८०के० एवं २<sup>वी</sup>००४८०के० हेतु उपलब्धता के आधार पर आवंटी को कवर्ड एवं खुली पार्किंग स्पेस आवंटित किया जायेगा। कवर्ड पार्किंग हेतु १७५०००.०० एवं खुली पार्किंग हेतु १०००००.०० लिया जायेगा।
5. परिषद का रख-रखाव प्रथम कब्जे की तिथि से ०२ वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है, उसके उपरान्त 'रेजीडेन्ट वेलफेर सोसायटी' द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेर सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
6. भवन की डिजाइन में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, जो आवंटी को मान्य होगा।
7. फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कापर्स फण्ड" में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि १<sup>वी</sup>००४८०के० हेतु ₹०-२५०००.०० एवं २<sup>वी</sup>००४८०के० हेतु ₹०-५००००.०० योजना में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टेनेन्स का कार्य आवंटियों की उपरोक्त कापर्स फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित रेजीडेन्ट वेलफेर सोसायटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात सोसायटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु आने वाला व्यय आवंटियों को समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से प्रति माह आवंटी को देना होगा।
8. अपर ग्राउण्ड तल के आवंटी से ३ प्रतिशत प्रथम तल के आवंटी से २ प्रतिशत एवं द्वितीय तल के आवंटी से १ प्रतिशत लोकेशन चार्ज अतिरिक्त लिया जायेगा।
9. भवन में विक्रय मूल्य अनुमानित है, परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार भवन का मूल्य देय होगा। वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर नियत किश्त की धनराशि घट बढ़ सकती है।
10. प्रत्येक आवंटी को भवन में समाप्ति भूमि का मूल्य, पात्रता चयन तिथि पर जागू भूमि दर के अनुसार देना होगा। भूमि मूल्य पर नियमानुसार फी होल्ड चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
11. सर्विस टैक्स/अधिभार नियमानुसार देय होगा, जिसका भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
12. यदि भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे वैट, जीएसएटी आदि आरोपित किया जाता है तो वह

## प्राविधान/शर्तें:

1. उक्त उत्तिलिखित मूल्य अनुमानित है। उक्त निर्माण 36 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन करके ही अंतिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किश्तों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के बर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में विभिन्न कारणों यथा-भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक भजदूरी में वृद्धि होने पर पूर्व निर्धारित मूल्य में बढ़ोत्तरी सम्भव है।
2. भवनों की टाइप डिजाइन ब ले आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है।
3. अपर ग्राउन्ड तल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल के आवंटियों से लोकेशन चार्जेज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य लिया जाना प्रस्तावित है।
4. आवंटियों को उपलब्धता के आधार पर ₹0 1.75 लाख कर्बर्ड स्टिल्ड कार पार्किंग, एवं ओपेन कार पार्किंग हेतु ₹0 1.00 लाख अतिरिक्त देय होगा। पार्किंग का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जायेगा।
5. पलैदस का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को कॉपर्स फण्ड में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी यह विक्रय मूल्य का 5 प्रतिशत भौतिक कब्जा से पूर्व देय होगी। इन्वलेव में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद अनुरक्षण कार्य आवंटियों की उपरोक्त कॉपर्स फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित आवंटियों की वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्यात् समिति को अनुरक्षण अपने श्रोतों से करना होगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
6. परिसर का रखरखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक किया जाना प्रस्तावित है उसके उपरांत “रेजीबेंट वेलफेयर सोसाइटी” द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
7. सामान्य सेवाओं जैसे कैम्पस लाइट, द्यूबेल आपरेशन, सफाई विद्युत बिल आदि के रखरखाव हेतु फ्लैट आवंटी को कब्जा प्राप्त तिथि से ₹0 1.25 प्रतिवर्ग फिट (सुपर एरिया) प्रतिमाह की दर से रखरखाव शुल्क अतिरिक्त देना होगा। जिसे बाद में परिषद/सोसाइटी को कम या अधिक करने का अधिकार होगा।
8. परिसर हेतु बालन्हीवाल का प्राविधान किया गया है। जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
9. राज्य/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राविधानिक विभिन्न प्रकार के टैक्स यथा-वैट, सर्विस टैक्स, जीएसटीटी, लेवर सेस आदि, रजिस्ट्री व्यय तथा भविष्य में उक्त टैक्सों की दरों में परिवर्तन होने की दशा

में अन्तर धनराशि, आवंटी द्वारा बहन की जायेगी।

## **पंजीकरण हेतु प्रत्यक्ष:**

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये।
- 3.3 स्व वित्तपोषित फ्लैट हेतु आय सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- 3.4 गाजियाबाद नगर में कोई भवन / भूखण्ड आवेदित परिवार जिसमें पति-पत्नी अवश्यक बच्चे सम्मिलित हैं, नहीं होना चाहिये।

## **पंजीकरण के नियम:**

- 4.1 आवेदन पत्र सरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र सरने के लिए निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्य है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकरण व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विदार नहीं किया जायेगा। पति-पत्नी द्वारा एकल नाम से अथवा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है। परन्तु विशेषतः पति-पत्नी द्वारा अलग-अलग आवेदन मान्य नहीं होगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी द्वा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके द्वारा निर्धारित रिफण्ड बाउचर भरकर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करना होगा एवं नियमानुसार पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि वापस की जाएगी।
- 4.5 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन हो जाने के पश्चात तीन माह के अन्दर आपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना व्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किंतु तीन माह पश्चात ऐसा आवेदन करने पर 60 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना व्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु निर्धारित रिफण्ड बाउचर एवं प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के साथ सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय गाजियाबाद में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण को बाद में पुनर्जीवित करने के लिए

किसी प्रकार का बाबा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

- 4.6 पैलेंट्स निर्णय में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अनियम निर्धारित किए जाएं करने के 1 वर्ष बाद तक भी परिषद फैलेट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अनियम किए जाएं करने के आगमी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमनुसार तत्समय शास्त्रीयकृत बैक द्वारा बयान खाते पर देय आज अथवा परिषद द्वारा निर्धारित आज लड़िया वापस कर दी जायेगी।

- 4.7 यदि किन्हीं कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों / आवंटियों की जमा धनराशि नियमनुसार वापस कर दी जायेगी। किंतु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से काथिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय शास्त्रीयकृत बैक द्वारा बयान खाते पर देय आज दिया जायेगा।

- 4.8 इस योजना के अंतर्गत आवेदक को परिषद फैलेट्स देने के लिए नाव्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाते हैं तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

### अनुबन्ध का तरीका:-

- पुस्तिका में जांकित विकल्प अ. व. स के अनुसार पहेट का मुगालान किया जा सकता है। पंजीकरण कोंमें इस आशय की स्पष्ट सहमति आवेदक को देना होगा।
- यदि माँग पत्र में दर्शाय गये विषय के अनुसार निर्धारित तिथि तक यांत्रित मुगालान नहीं किया गया हो तो किए जाने की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 3 नाह होगी, परिषद, नियमनुसार साधारण आज के साथ निर्धारित आज देय होगा, जिसका मुगालान निर्धारित किसी की धनराशि के साथ करना होगा। अन्यथा आवंटन एवं पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किए जाने की निर्धारित मूल्य धनराशि मुगालान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण खत: निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में निर्धारित कटौती करते हुए बिना व्याज के की जायेगी।
- नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का मुगालान नियमनुसार आवंटी को करना होगा।
- पंजीकरण के उपरान्त मांग-पत्र अनुसार देय किए जाने की धनराशि का मुगालान लाभिकृत बैक में ही बैक द्वारा अथवा बैकर्स द्वारा किया जायेगा। बैक ड्राफ्ट बैकर्स द्वारा किया जायेगा। बैक ड्राफ्ट बैकर्स द्वारा “उत्तम आवास एवं विकास परिषद

परियोजना -2016” के नाम जो गणियांड शहर / दिल्ली में देय हो, मांग-पत्र में अधिकृत ऐक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, पर्सेट संख्या एवं श्रेणी आदि विवरण सहित निर्धारित ऐक चालान पर जमा करना होगा।

## **आवेदन लिखन:**

- 6.1** परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण प्राक्ता भ्र में आश्रण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के सम्बन्ध नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2** प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध पलैट की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उका चयन में कासफल आवेदकों को उनकी जमा धनरक्षि विना आज के परिषद के नियमानुसार ऐक द्वाष वापस कर दी जायेगी।
- 6.3** योजना में आवंटन हेतु उपलब्ध पलैट की संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में समस्त आवेदकों के नाम की परिवर्त्यों को एक साथ आवकर लाटरी द्वाष पलैट की उपलब्धता की सीमा तक प्राक्ता निर्धारित की जायेगी। आवेदकों की संख्या उपलब्ध पलैट्स की संख्या से कम होने की दश में समस्त आवेदक वयनित पत्र माने जायेंगे।
- 6.4** समस्त योजना आवेदक / पत्र समान होंगे। योजना हो युके आवेदकों की सहमति से युपिग में एक लाल रहने के आधार पलैट्स की उपलब्धता की स्थिति में ग्राहका पत्र देने पर युप बनाये जाने की सुविधा यथा समय दी जायेगी। दो आवेदकों की सीमा तक की युपिग मात्र होगी। तरीं का नियांण लॉटरी द्वाष किया जायेगा एवं लाटरी द्वाष जो भवन आवंटित होंगा उसका वास्तविक गूल्यांकन का युगातान आवंटी द्वाष किया जायेगा।
- 6.5** युपिग की स्थिति में युप की एक पर्वी औली जायेगी तथा उसके आने पर यथा समय पूर्ण युप को एक ही दल पर साथ-समायोजित किया जायेगा। लाटरी में युपिग न मिलने पर कोई बलेन मात्र नहीं होगा।
- 6.6** सामान्यतः पंजीकरण एवं प्राक्ता चयन / आवंटित पलैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों एवं आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित पलैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वाष निर्धारित परिवर्तन युल्क देने की शर्त के अद्यन आवास आयुक्त द्वाष किया जा सकता है। यह परिवर्तन पलैट का विक्रय विलेख-निषादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमत्य होगा।

## आरक्षण

**प्रस्तावित योजना के प्रत्येक श्रेणी के फ्लैट्स में आरक्षण शास्त्र/परिषद् के के अनुसार प्रभावी होगा, जो वर्तमान में विद्यानुसार है।**

क्र. सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	उद्धरण सरकार द्वाया निर्बाचित सूची के अन्तर्गत उल्लिखित आरियाँ की पात्र होंगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/उहसीलदार द्वाया निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। वर्तमान समय में उद्धरण में विद्यान जिलों से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मात्र होंगे।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	-दौदै-
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-दौदै-
4.	मातृ विश्वायक/सांसद उत्तोत्रता संग्राम सेनानी	6	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वाया निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। (ब) सामुचित प्रमाण-पत्र। उत्तोत्रता संग्राम सेनानी के आक्रित का आखण का जाम देय नहीं होगा।
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुखा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	6	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। उद्धरण दात्य की सेवा में तथा उद्धरण दात्य के अधीन गठित नियमों, उपक्रमों एवं नियायों में कार्यस्त नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।
6.	उद्धरण आदास एवं विकास परिषद्, विकास प्राधिकरण, जल संरक्षण नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सम्म अधिकारी का प्रमाण-पत्र मूलरूप में संलग्न करना है। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिकारी के अन्तर्गत कार्यस्त हो।
7.	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आक्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियम सैनिक अधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कराकर संलग्न करना है।
8.	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वाया निर्गत प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना है। नेत्रहीन विकलांग को 1 प्रतिशत एवं अन्य विकलांग को 2 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।
9.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की नियमित बनियम तिथि तक 60 वर्ष उपर्याक्षण व्यक्ति नियमित उपर्याक्षण की आयु पूर्ण होने के आवार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवा निवृत्त प्रमाण पत्र/पेशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति संपलब्द करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्द न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी नियमित आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति संपलब्द करायें।

## **नोट:-**

1. उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवंटन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में समिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 09 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजोन्टल रूप से किया जायेगा।

## **हॉरिजोन्टल आरक्षण लानु होने की दशा में एक ही विकल्प नाल्ह होगा-**

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में समिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक आरक्षण कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्र से की जानी अनिवार्य होगी। ब्रूटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

7.2 उप्र० के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जायेंगे।

## **अहारक्षण आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी:-**

8.1 पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों को 45 दिनों के अन्दर बैंक द्वारा सीधे आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउण्ट बैंक के माल्यम से वापस कर दी जायेगी।

## **फ्लैट्स का भौतिक कब्जा:-**

9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से ३६ माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन/सेल डील कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के बाद भौतिक कब्जा हस्तागत किया जायेगा।

9.3 'उप्र० आवास एवं विकास परिषद' द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को रु 50.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क देना होगा। तद्पश्चात निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर 'उप्र० आवास एवं विकास परिषद' को फ्लैट्स का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

## **तथ्यों का उल्लंघन:**

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार 'उप्र० आवास एवं विकास परिषद' में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## **अन्य महत्त्वपूर्ण सूचना/शर्तः-**

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण का परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा उपरोक्त के अतिरिक्त शासन/परिषद के नियम, आदेश, निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा। तथा या उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।
- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण/फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इन्डेमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अंतिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे।
- 11.5 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषद के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.6 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित फ्लैट्स के मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.7 किसी भी प्रकार के बाद का परिवेत्र गाजियाबाद होगा।
- 11.8 फ्लैट्स का अन्तिम मूल्य परियोजना के पूर्ण होने पर बास्तविक मूल्यांकन करके ही अन्तिम विक्रय मूल्य निर्धारित किया जायेगा। फ्लैट्स के सूचित अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी बनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।

## गण्डोला विहार घोजना, घोजना रोड में समाजवादी आवास घोजना के अन्तर्गत

बैंक शाखाओं के नाम व पते जहाँ से पंजीकरण पुस्तिका प्राप्त करने एवं पंजीकरण आवेदन पत्र (पंजीकरण अनुरागी साड़ित) जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

**पंजीकरण दिनांक 01-02-2016 से प्रारम्भ**  
**पंजीकरण आवेदन जमा करने हेतु**  
**अन्तिम तिथि 15-03-2016**

### ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस:-

क्रमसंख्या	शाखा का नाम	फोन नं०
1.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, सेक्टर 4, नेवाक इंस्टीट्यूट, वसुन्धरा गाजियाबाद (नोडल शाखा)	0120-2698273 09650392238
2.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, बी-109, राहुल पैलेस, लोहिया नगर गाजियाबाद।	0120-2714546
3.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, सेक्टर- 20 जी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नोएडा।	0120-2553408
4.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, दिल्ली रोड, द्रान्सपोर्ट नगर, मेरठ।	0121-2513839 08979567979
5.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, हर्षा, भवन, ई-ब्लॉक कनाट पैलेस, दिल्ली।	011-23417624
6.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, 512, नीतिकाण्ड-1, इन्डिरापुरम्, गाजियाबाद।	0120-2690229 9350105348
7.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, आर्यन पब्लिक स्कूल, सेक्टर- 4, वैशाली, गाजियाबाद।	0120-2775099 9650392242
8.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, सेन्ट एन्ड्रेस स्कार्ट, सीएसेकेन्डरी स्कूल, १, एवेन्यू, आई.पी. एकेन्सान, पटपड़गंज, दिल्ली- १२	011-22241142 9891052281
9.	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्पस, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद।	0120-2696524

## केनरा बैंक :-

क्रमांक	शाखा का नाम	फोन नं.
1.	केनरा बैंक, मण्डोला विहार, गाजियाबाद (नोडल शाखा)	0120-2694900 07840004240
2.	केनरा बैंक, मुख्य शाखा, मालीबाका, चौक, गाजियाबाद।	0120-2793451
3.	केनरा बैंक, सेक्टर- 9, एल्फा टावर, वसुन्धरा, गाजियाबाद।	0120-2885501

**नोट:-** असफल आवेदकों की धनराशि की वापसी नोडल शाखाओं द्वारा ही की जायेगी।

विस्तृत नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका से देखी जा सकती हैं।

**मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद, ने अफेल्डल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत<sup>“</sup>सनाजवादी आवास योजना-2016<sup>”</sup> के अधीन 1BHK, 2BHK ने प्रस्तावित चास्मांजिले प्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु**

### आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजनान्तर्गत चास्मांजिले प्लैट्स के ऑन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

### प्रथम चरण (Step-1):

**आन-लाइन पंजीकरण (Registerig Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)**

1. आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदन सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर जाकर मुख्यपृष्ठ (Homepage) के लिंक **Online Registration For Flat** पर क्लिक करना होगा।
2. इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Mandola Vihar Yojana, Ghaziabad" पर क्लिक करना होगा।
3. आवेदक द्वारा संबंधित योजना / प्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भीति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।

4. तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर, ई-मेल, इच्छित प्लैट्स आदि विवरण आन-लाईन फीड किये जायेंगे।
  5. उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Submit" बटन पर क्लिक किया जायेगा।
  6. "Submit" करने के उपरान्त आवेदक द्वारा "Confirm" करने की दशा में उसे अपने ऑन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईफ़ोन/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के मुगातान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
  7. उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'चापदज' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
  8. आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदक शुल्क के मुगातान की कार्यवाही की जायेगी :-
- ✓ Visit website [www.upavp.com](http://www.upavp.com) & click on link "Online Registration of Flats"
  - ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
  - ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
  - ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'.
  - ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS\*' webpage will be available.
  - ✓ Applicant can choose anyone available option for making payment.

२. उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।  
 (नोट-डिमाण्ड फ़ाफ्ट/बैंकर्स थेक "U.P. Avas Evarn Vikas Parishad" के पक्ष में जो कि गाजियाबाद शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)
- \*MOPS : Multi Option Payment System

### **द्वितीय चरण (Step-2):**

#### **अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)**

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार (Step-1) पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे/पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के लिंक Online Registration For Flats पर जोकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एवं Journal No./Reference No./Transaction ID मरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आईडी प्रमाण, निवास प्रमाणपत्र, जाति / आरक्षण प्रमाणपत्र, नोटरी शपथ पत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

**कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्ध**

**च०प्र० आवास पृष्ठ विकास परिषद, सेक्टर-१४ए, ऑफिस कॉम्प्लेक्स,**

**हाल नं०-एस-०१, वसुन्धरा, गाजियाबाद- २०१०१२**

### **नोट:-**

उक्त के अतिरिक्त पंजीकरण पुस्तिका निर्धारित शुल्क ₹० ३००/- देकर प्रचार अनुमाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, १०४ महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ से भी प्राप्त की जा सकती है।

पंजीकरण आवेदन फार्म केवल उल्लिखित बैंक में ही जमा होंगे।

## आवेदन - पत्र में भर्ने के लिए निर्देश

1. आवेदन-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले बाल प्लाइन्ट पेन से भरा जाये।
2. आवेदन पत्र के नाम (क्रमांक 4 एवं 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाये।
3. अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनायें भरते समय आपेक्षित है कि इस आवेदन पत्र के ब्लाक को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में (BLOCK LETTERS) में भरें हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सकते हैं।
4. आवेदक केवल भारतीय अंको के अन्तराष्ट्रीय रूप का प्रयोग करें। जैसे - 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5. आवेदक को पासपोर्ट साइज का स्पहस्ताकारित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथा स्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किया जाये कि हस्ताक्षर का आशा भाग फोटोग्राफ पर व आशा भाग आवेदन पत्र पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में सुयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना आपेक्षित होगा।
6. एक ब्लाक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
7. नाम व पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लाक अवश्य छोड़े।
8. आवेदन पत्र में बिन्दु-6 पर अंकित लिंग (Sex) कालम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें।
9. सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से 1BHK एवं 2BHK में किसी एक को भरना होगा।
10. आखण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका में चलिखित "आखण" नियमों का अध्यन करें। आखण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।

## आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आवश्यक स्तरीय	कोड सं.	शहर	कोड
अनुसूचित जाति	01	गाजियाबाद	045
अनुसूचित जनजाति	02		
अन्य पिछ़ावा वर्ग	03		
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04	योजना	कोड
		मप्डोला योजना	—
डाइजेन्टल आरक्षण	कोड सं		
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी	F		
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी	G		
जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों			
उप्रो आवास एवं विकास परिषद,	B		
विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर			
महापालिका।			
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	R		
समाज के विकलांग व्यक्ति	D		
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O		
सम्पत्ति स्तरीय	कोड		
1BHK	1 A		
2BHK	2 A		
लिंग	कोड		
स्त्री	F		
पुरुष	M		
संयुक्त आवेदन की स्थिति में	HW		
भुगतान	कोड		
नगद	01		
क्रेडिट	02		

- बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर को लेखा शीर्षक "उप्रो आवास एवं विकास परिषद आवासीय योजना 2016" (UPAVP HOUSING SCHEME 2016) जो गाजियाबाद/दिल्ली में देय होगा।
- संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-13 में दिया जायेगा। अतः हस्ताक्षर में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- पात्रता द्वा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउंट के माध्यम से रिफण्ड कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में रिफण्ड के मुगतान में विलम्ब हेतु उप्रो आवास एवं विकास परिषद को कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना ही बैंक एकाउंट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का चल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। उक्त प्रतिष्ठि को ध्यानपूर्वक भरें ताकि आपका रिफण्ड गलती के कारण किसी गलत खाते में न जाने पाये।
- आवेदन पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।

६. अपूर्ण आवेदन पत्र / आवेदन पत्रों में कटिंग किये हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।  
इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
८. परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय आलान संख्या, शहर कोड तथा अवण अवश्य अंकित करें।  
पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
७. आवेदन पत्र जमा करते समय आवेदन पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
८. आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान पत्र (वौटर आईपीओ, डीएलओ, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा। समस्त संलग्नकों पर आवेदन पत्र संख्या अंकित करते हुए स्व प्रमाणित करें।
९. तालिका में दर्शाये गये फ्लैटों की संख्या घट बढ़ सकती है। जिसके सम्बंध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

**योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु  
निम्न कार्यालय कार्य दिक्ष/समय  
पर निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं**

**अधीक्षण अभियंता**

मण्डोल बूल्ट, ऊँझा आवास एवं विकास परिषद्,  
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद।  
मो: 08588877003

**अधिशासी अभियंता**

निर्माण खण्ड , - 10  
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद।  
मो: 08588877002

**अधिशासी अभियंता**

निर्माण खण्ड, - 22  
मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद।  
मो: 08588877007

**चप आवास आयुक्त**

स्पष्टि प्रबन्ध कार्यालय, ऊँझा आवास एवं विकास परिषद्,  
श्रीपिंडा रॉपटोप्स, सेक्टर-18, बहुनगर, गाजियाबाद।  
मो: 0120-2880025

## नुक्त्य परिआषार्ये

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहां जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे:-

### आवेदक का परिवार:-

इसमें स्वयं आवेदक, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे समिलित हैं।

### आय-

आय का तात्पर्य आवेदक के समस्त श्रोतों से होने वाली पंजीकरण से पूर्व वित्तीय दर्ष की वार्षिक आय से है, इसमें आवेदक उनके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चे की आय समिलित होगी।

### भूखण्ड/भवन-

“भवन या भकान” शब्द में : “फ्लैट” भी समिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

### सम्पत्ति-

सम्पत्ति का तात्पर्य भवन, फ्लैट अथवा भूखण्ड से है।

### चरण (पंजीकरण का खुलना)-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिए भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

### सरकारी सेवाओं से तात्पर्य-

उपरोक्त राज्य की सेवा में तथा उपरोक्त राज्य के अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकायों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है।

### विस्थापित व्यक्ति-

इस योजना में लागू नहीं है।

### स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है-

(1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मार लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर द्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो।

(2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या मूलपूर्व इण्डिया इण्डिपैन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को आरक्षण अनुमत्य नहीं होगा।

### **सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य-**

सेवारत/सेवा निवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य उपरोक्त शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

### **अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य-**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

### **अन्य पिछड़े वर्ग का तात्पर्य**

उपरोक्त (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम-1994) अधिनियम संख्या-4 सन् 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट है। इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

### **नेत्रहीन तथा विकलांग व्यक्ति का तात्पर्य-**

शासन अथवा जिला थिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/विकलांग व्यक्ति से है।

### **परिषद कर्मचारी का तात्पर्य-**

परिषद के नियमित अधिक्षान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

### **परिषद का तात्पर्य-**

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

**विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य-**

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिक्षान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।



vkokl , oa fodkl i fj"kn dh vU; i fj; kst uk; a

